पाश की कविताएं

रात से

उदास बाजरा, सिर उठाये खड़ा है
तारे भी बात नहीं करते...
ऐ रात, तू मेरे लिए उदास न हो
तू मेरी देनदार नहीं
रहने दे, इस तरह न सोच
जुगाली करते पशु कितने चुप हैं
और गांव की स्निग्ध फिजा कितनी शांत है
रहने दे, रात, तू ऐसे न सोच, तू मेरी आंखों में झांक
ये उस बांके यार को अब कभी न देखेंगी
जिसकी आज अखबारों ने बात की है...
रात, तेरा उस दिन का वह रंग कहां है?
जब वह पहाड़ी चो के जल की तरह
जल्द–जल्द आया था
चांद की लौ में पहले हम पढ़े
.फिर चोरों की तरह बहस की
और.फिर झगड़ पड़े थे
रात, तू तब तो खुश थी
जब हम लड़ते थे
तू अब क्यों उदास है
जब हम बिछड़ गये हैं
रात, तुझे जानने वाले की कसम
तेरा यों उदास होना बनता नहीं है
मैं तेरा देनदार हूं

तू मेरी देनदार नहीं
रात, तू मुझे बधाई दे
मैं इन खेतों को बधाई देता हूं
खेतों को सब पता है
आदमी का लहू कहां गिरता है
और लहू का क्या मोल होता है
ये खेत यह सब जानते हैं
इसलिए ये रात
तू मेरी आंखों में देख
और मैं भविष्य की आंखों में देखता हूं।

प्रतिज्ञा

आपको हमेशा पता होता है
आप किस दरवाजे से धकेल कर आ घुसेंगे
और, आओ, आपको वह दरवाजा बतायें
जहां आप अफरातफरी मचाने वालों को
हम दफा करने वाले हैं–
आपने जो कथा पत्थर–युग से अपोलो–युग तक
बेरोक कही है–चाहे–अनचाहे
हमने हुंकारा भरा है
और अब पत्थर युग से ही उठ कर
अपनी कथा कहने लगे हैं–
'आप' जिसके आदी हो–
यह सपनों से भरी वह रात नहीं
यह रात अंधरे का कत्ल करके आई
पूरब की ओर चली जाती एक वहशी लड़की है
और देखो, हम इस लड़की का
लिंग बदलने लगे हैं
वह यारी वह यारी नहीं
जिसे आप सदियों से निभाते आए हैं
इससे हम आपके अंतस का दंभ मापेंगे
और जो बुत हम
शहर के चौक में लगाने चले हैं
वह प्रेम सिंह का भाई खेम सिंह नहीं
न यह गंगाराम है, न यमुनादास
यह तो वह बुत है
जिसे अपनी समझ में आप
रोज कत्ल करते हैं।

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में प्रकाशित समाचारों से पता चला कि न्यायपालिका में कितनी ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है। अंक में भगत सिंह पर प्रकाशित लेख बहुत ही अच्छा लगा।

भाजपा की राजनीति पर प्रकाशित लेख भी अच्छे–खासे हैं। मितव्ययिता पर शासक वर्ग जो ढोंग रचा रहा है, उसकी पोल आपने खोली है। अभी जब तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तब राजनीतिक दल कितना खर्च कर रहे हैं, यह देख कर जनता समझ रही है कि मितव्यियता क्या है? अभी कांग्रेस ने यह तय किया है कि चुनाव प्रचार के लिए हैलीकॉप्टर किराए पर लिए जाएंगे और राहुल गांधी के लिए एक विमान किराए पर लिया जाएगा। ऐसे में सोनिया ने इकॉनमी क्लास में हवाई यात्रा कर एक ढोंग किया, इसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है।

– विवेक, गुडगांव

मजदूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में प्रकाशित सभी सामग्री अच्छी है। विशेष रूप से भाजपा की राजनीति पर लिखे गए लेख अच्छे लगे। समाचारों में भी विविधता है। यह बात अब सभी समझ रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का इस हद तक प्रवेश हो चुका है कि इस व्यवस्था में उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जज पहले भगवान के दूसरे रूप समझे जाते थे। उनका दर्जा काफी ऊंचा था पर जब लोगों ने देखा कि ये भी रिश्वतखोरी और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार में लीन हैं तो इनके प्रति जनता की आस्था खत्म हो गई।

जब न्याय बिकने लगा और महंगे से महंगा बिकने लगा तो देश की सामान्य जनता न्यायालयों में लुटने–पिटने लगी। लोग कहने लगे कि अगर किसी को बर्बाद होना है तो मुकदमेबाजी में फंसे। इससे जाहिर होता है कि जन मानसिकता क्या है? आज इस देश में ऐसे इलाके बढ़ते चले जा रहे हैं जहां लोग खुद न्याय कर लेते हैं, थाने–कचहरी नहीं जाते। यह इस व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है।

– मुकेश अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली

मजदूर मोर्चा का अंक मिला। पहले की भांति ही सारी सामग्री पठनीय एवं विचारोत्तेजक है। यद्यपि सभी अख़बार अपने आप को निर्भीक और निष्पक्ष बतलाते हैं पर वास्तव में निर्भीकता मजदूर मोर्चा में ही दिखाई पड़ती है। जहां तक निष्पक्षता की बात है, यह संभव नहीं हो सकता। हम मजदूर मोर्चा को निष्पक्ष नहीं बता सकते बल्कि हम इसे जनता का पक्षधर बता सकते हैं। वहीं आज रंग बिरंगे जो अख़बार निकल रहे हैं वे पूंजीपतियों के पक्षधर हैं।

– राजन सोलंकी, गुडगांव

मज़दूर मोर्चा का नया अंक पढ़ा। इसमें प्रकाशित सामग्री काफ़ी स्तरीय लगी। सभी लेख काफी अच्छे और तथ्यपूर्ण हैं। लेखों में जो राजनीतिक विश्लेषण किया गया है, वह आज कहीं नहीं मिलता। जहां तक राष्ट्रीय कहे जाने वाले अख़बारों का सवाल है तो उनमें अब विचार के लिये कोई स्थान नहीं है, और वे लोकल समाचारों को भरकर अपना काम चला रहे हैं। हां विज्ञापनों के लिये मुख्य पृष्ठ तक समर्पित कर दिया जाता है। ऐसे में यह देख कर आश्चर्य हुआ कि मज़दूर मोर्चा में एक भी विज्ञापन नहीं है। आज पब्लिकेशन का काम बहुत ही महंगा हो गया है। इस तरह अख़बार की कीमत मात्र एक रुपए रखना भी आश्चर्यजनक लगा। वैसे तो अख़बार की कीमत से खर्च निकाल पाना संभव नहीं है। मेरा सुझाव है कि आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने के लिए विज्ञापन भी लिए जाएं। यह अलग बात है कि मज़दूर मोर्चा वैसे ही विज्ञापन ले जो समाज व संस्कृति के लिए हानिप्रद न हों। आज मज़दूर मोर्चा और इस जैसे अख़बारों की काफी जरूरत है क्योंकि समाज में सांस्कृति पतनशीलता बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में वैकल्पिक पत्रकारिता वक्त की जरूरत है। इस तरह के प्रकाशन के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं।

– दिवाकर पांडेय, पलवल

पेज 1 का शेष भाग

न्यायपालिका की नौटंकी कब तक देखते रहे परस राम?

ने यह फ़ाइल निरीक्षण के लिये मंगा ली। एक साल पूरा हो चुका है, अभी उसका निरीक्षण पूरा नहीं हो सका है। हो भी कैसे? पहले प्रीतम पाल जी निरीक्षण करते रहे, अब जज दया चौधरी उसका निरीक्षण कर रही हैं।

फ़र्जी रजिस्ट्री होने के बाद शुरू हुआ पुलिस का ड्रामा

परंतु दूसरी तरफ़ की सेवा–पानी लाखों में थी, लिहाज़ा मुकदमा खारिज कर दिया गया, जिसे दोबारा चलाने के लिये अब सब जज भावना की अदालत में परस राम चक्कर लगा रहा है।

देखने वाली बात यह है कि अब लोग़ों को नकली विक्रेता बन कर तहसील में जा कर रजिस्ट्री जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर दस्तखत तक करने से डर नहीं लगता। ज़ाहिर है ऐसे लोगों में यह विश्वास पक्का हो चुका है कि कानून, कचहरी व पुलिस आदि सब दिखावे का सौदा है, इन्हें तो बस इनकी फ़ीस दिये जाओ और जैसे मर्ज़ी हांके जाओ।

यही कारण है कि एक दिन में सुलझ सकने वाले केस बरसों तक कोर्टों में घिसटते रहते हैं और लंबित मामलों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जाती है। कानून एवं सज़ा के भय से मुक्त लोग़ इन केसों को बढ़ाने में जुटे हैं। यदि कानून का ज़रा भी भय हो तो ऐसे मुकदमें पैदा ही न हों। परस राम का उक्त सौदा जो 90 लाख का तो एक नंबर में है, दो नंबर में जो रकम दे रखी होगी, उसका तो हिसाब ही नहीं। जिस आदमी के करोड़ों रुपये इस तरह बट्टे खाते लग जायें तो वह क्या न्यायपालिका एवं इस व्यवस्था में विश्वास करेगा और क्या इसकी इज्जत करेगा? ऐसे ही दुखी लोग न्याय पाने के लिये कानून से बाहर का कोई रास्ता खोजने लगता है।

जजों को अपराध करने की पूरी छूट

वह क्या कार्यवाही करेगी और कब करेगी, यह बताने की कोर्ट ने कोई जरूरत नहीं समझी। इसी से मिलता–जुलता सा ही एक मामला सोनीपत ज़िले के गन्नोर में तैनात एक सब जज आर.के.जैन का भी है, जिसके उत्पीड़न एवं अत्याचारों से तंग आ कर कोर्ट के एक चपरासी ने बाकायदा जैन को नामजद करते हुये आत्महत्या कर ली थी। लेकिन छः माह से अधिक बीत जाने के बावजूद आज तक भी उस दोषी जज का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसे अन्यत्र एक बढ़िया जगह नियुक्ति दे दी गई। यह सब दर्शाता है कि नीचे से ले कर ऊपर तक की न्यायपालिका में गहरी एकता एवं सांठगांठ है। इनकी एकता के सामने देश का कानून और सबको बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान कोई मायने नहीं रखता। यदि न्यायपालिका इसी तरह अपना पतन करती रही तो वह दिन दूर नहीं जब जनता इनको सड़कों पर ले कर फ़ैसला करेगी।

लूट के लिये सत्ता में हिस्सेदारी चाहिये

लेकिन किसी भी सफ़ल व्यापारी की तरह राजनीतिक व्यापारी के लिये भी कुछ मौलिक गुणों का होना अति अनिवार्य है, वरना लगी–लगाई करोड़ों की क्या, अरबों की पूंजी भी डूबते देर नहीं लगती। राजनीति के इस बाज़ार में व्यापारी के अंदर मदारी की भांति राह चलते लोग़ों को घेर कर खड़े करने का गुण सबसे जरूरी है। उसके बाद उन लोग़ों को बहकाने व बरग़लाने का गुण होना चाहिये। झूठ ऐसा बोले जो जल्दी से पकड़ा न जा सके। बेशर्म इतना हो कि पकड़े जाने पर शर्माये नहीं। ले कर किसी का दे नहीं। सब को किसी न किसी झांसे में रखे। इन मौलिक गुणों के अलावा सांप्रदायिकता अथवा जातिवाद के नाम पर लोग़ों को लड़ा मारने में भी समर्थ हो तो फ़िर तो कहने ही क्या।

महत्वपूर्ण तथ्य

देश भर में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 267 सेज प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है। आज़ादी से पूर्व देश में 70 फ़ीसदी भूमि कृषि योग्य थी, लेकिन अब एक अरब आबादी हो जाने के बावजूद सिर्फ़ 40 फ़ीसदी भूमि ही कृषि योग्य है। इसलिये अनाज़-उत्पादन और जनसंख्या के अनुपात में भारी विषमता है। हज़ारों टन गेहूं का आयात करना पड़ता है। 115 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून भू-माफ़िया का हथियार बन गया है।

भूमि अधिग्रहण कानून खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका कर्ता के वकील डीके गर्ग ने भूमि अधिग्रहण कानून धारा 3 (एफ), 4 और 6 को चुनौती देते हुए कहा है कि इन धाराओं के तहत 'सार्वजनिक उद्देश्यों' की आड़ में किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है। लेकिन बाद में यह भूमि डेवलपर्स, बिल्डर्स और उद्योगपतियों को दे दी जाती है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सी.के.ठक्कर और डी.के.जैन की खंडपीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (आईडीएस) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पहले सरकार ने कहा था कि 2015 तक भूखे लोगों की तादाद में 50 फ़ीसदी कमी आयेगी, लेकिन उपरोक्त अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार 2043 से पहले ऐसा हो पाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 88 करोड़ लोग़ दो अमेरिकी डॉलर पर गुज़ारा करने को मजबूर हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र की समस्याओं के बारे में गठित आयोग ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके अनुसार 80 करोड़ लोग 20 रुपये से कम पर ही गुज़ारा करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 88 करोड़ लोग़ों को दो अमेरिकी डॉलर की आमदनी नहीं होती।

सूचना

मज़दूर मोर्चा पाक्षिक समाचार पत्र

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी 9811159238

अब बल्लभगढ़ व पलवल के पाठक भी अपने हॉकर से मजदूर मोर्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करें :

ललित कौशिक

शॉप नं.6, अंबेडकर चौक, बल्लबगढ़
मोब. 9278108329

भूटानी न्यूज़ एजेंसी

मीनार गेट, पलवल। मोब.: 09354112741